न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 47/2025(GCMS 2025/265)

श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नं. 47 लक्ष्मी नगर, जयपुर पिन नं. 332012 (मोबाईल नम्बर 80034–00111)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

30.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रविन्द्र सिंह स्वयं उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उन्होने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2025 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रविन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. आदेश क.स.वि.आ.चु.:2023/600दिनांक 09.11.2023 की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
2. विधानसभा चुनाव 2023 में लेखा शाखा सादुलशहर में लगे सभी कार्मिकों का नाम, पद, कब से कब तक लगाये गए जानकारी प्रदान करें।
3. अंकित अंकुर सरावगी क.स.(कृषि) को कब प्रतिनियुक्ति से रिलिव किया गया जानकारी प्रदान करे, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
4. चुनाव कार्य के लिए लेखा शाखा [illegible] जाने वाले कार्मिकों की योग्यता की जानकारी प्रदान क[रें।]
5. 16 सीसीए के तहत आरोपित [illegible] को लेखा शाखा में चुनाव कार्य पर किस नियम के तहत ल[गाया] गया नियम की कॉ[पी प्रदान] करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6. रविन्द्र सिंह वरिष्ठ अध्यापक का नाम आपके कार्यालय को किस विभाग से, किस अधिकारी द्वारा दिया गया जानकारी प्रदान करें।
7. 10.11.2023 से 04.12.2023 तक कार्मिक रविन्द्र सिंह द्वारा किस उम्मीदवार का रिकॉर्ड संधारण किया गया, जानकारी प्रदान करें
8. रविन्द्र सिंह कार्मिक का चुनाव में प्रतिनियुक्ति समय व्यवहार, कार्यशैली, कर्तव्यनिष्ठता, बुद्धिमता की जानकारी प्रदान करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी / वाचक / 25 / 1438 दिनांक 03.07.2025 से टिप्पणी मय रिकॉर्ड भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने उक्त पत्र लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब / टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं उसे सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे उपलब्ध करवाई जावे। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:27:46 IST
Reason: SelfAttested